



न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

प्र.- /पी.बी.आर./2017 निगरानी

R 1418-PB947

रामबाबू गर्ग पुत्र श्री फूलचंद जी गर्ग, आयु 70 वर्ष, व्यवसाय सेवानिवृत्त चीफ इंजीनियर, म.प्र. विद्युत मण्डल, निवासी- श्री राम भवन, राम मंदिर के पीछे, फालका बाजार, लशकर, ग्वालियर म.प्र.आवेदक

श्री H.O. के राजपेनी
द्वारा आज दि. 22-5-17 को
रसुत
Kangra
क्लेक ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरुद्ध

1. मुन्ना सिंह (प्रार्थक पक्ष) आत्मज श्री काशीराम जी कुशवाह, निवासी तारागंज, काला सैयद रोड, लशकर, ग्वालियर, जिला ग्वालियर, म.प्र.।
2. हेमन्त गुप्ता पुत्र हरवंशलाल गुप्ता, लक्ष्मीगंज पेट्रोल पंप के सामने, लशकर, ग्वालियर, म.प्र.।
3. अजय गुप्ता पुत्र श्री हरवंश लाल गुप्ता, लक्ष्मीगंज पेट्रोल पंप के सामने, लशकर, ग्वालियर, म.प्र.।
4. श्री म.प्र. विद्युत मण्डल द्वारा देते हुए 23 का. 40 लक्ष्मीगंज लशकर, मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर, ग्वालियर, म.प्र.।

.....अनावेदकगण


नायब तहसीलदार, वृत्त बहोडापुर, तहसील ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 22/2015-16/अ-6 में पारित आदेश दिनांक 13.04.2017 के विरुद्ध पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1418-पीबीआर/17

जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-3-2018	<p>आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 13-4-17 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार द्वारा अंतिम प्रकृति का आदेश पारित किया गया है, जो अपीलीय योग्य है, किन्तु आवेदक द्वारा अपील प्रस्तुत नहीं कर, निगरानी प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायोगा) में अंतिम प्रकृति के आदेश के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत करने का कोई प्रावधान नहीं है । अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया संहिता के प्रावधानों के अनुरूप प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण अग्राह्य की जाती है ।</p>	<p> अध्यक्ष</p>